—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 135/2019

उनवान

सायरी पत्नी रामदीन जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद, अजमेर।
—वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सुखपाल पुत्र रामचन्द्र,
2. दुर्गा पत्नी रामचन्द्र,
3. सोबाक पुत्री रामचन्द्र,
4. आम्बालाल पुत्र मोहबा,
5. अमरचन्द पुत्र मोहबा जाति जाट नि0 रामबाडी, नसीराबाद,
6. उप पंजीयक, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित, 6 व 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 28/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामबाडी रामसर में वादी की खातेदारी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
54 मिन	1—18—0	443	0.35
55 मिन	1—18—0		
39	3—9—0 में से 1—0—0	431	0.56 में से 0.16
60	0—3—0	439	0.02 में से आधा हिस्सा

उपरोक्त आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 28.01.1999 को कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। हाल राजस्व अभिलेख बनाते समय आराजी मुतनाजा बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने श्रेत्राधिकार से परे जाते हुये विकेता के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें निषेधाझा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 460 दिनांक 14.5.99 को स्वीकार किया जा चुका है। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद नही हुआ है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

-- वादी

2. आया आराजी मुतनाजा क वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

उपरोक्त तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण दोनो तनकी का एक साथ विवेचन किया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विकय पत्र अनुसार वादी ने ग्राम रामबाडी, रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 54 मिन रकबा 1-18-0 का आधा हिस्सा, 39 रकबा 3-9-0 में से 1-0-0 व वंर्किग खसरा नम्बर 60 रकबा 0-3-0 में से 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार रामचन्द्र, अम्बालाल, अमरचन्द पि. मोहबा से कय किया था। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में विकेता के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 460 दिनांक 14.5.99 से उक्त विकय पत्र का अमल दरामद किया गया। वादी द्वारा अपने वाद में वंर्किग खसरा नम्बर 55 मिन का उल्लेख किया है किन्तु विकय पत्र में वंर्किग खसरा नम्बर 55 मिन रकबा 1-18-0 अंकित नही है। वंर्किग खसरा नम्बर 54 का हाल खसरा नम्बर 443 रकबा 0.01 व 444 रकबा 0.31 बना है। वंर्किग खसरा नम्बर 39 रकबा 3-9-1 में से वादी ने 1-0-0 रकबा कय किया है। वादी ने उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 0.56 में से 0.16 की खातेदारी चाही है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 0.31 व 431/966 रकबा 0.16 वादी के नाम 3/8 हिस्सा पूर्व में ही खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर 5/8 हिस्से का खातेदार हरका पुत्र सवाई उर्फ सुखदेव दर्ज है। हरका पुत्र सवाई उर्फ सुखदेव को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है, ना ही खसरा नम्बर 444 वाद पत्र में अंकित है। अतः उसके हिस्से की आराजी पर वादी इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकारी नही है। वंर्किग खसरा नम्बर 60 में वादी ने विकेता का 1/2 हिस्सा कय किया था। जिसका हाल खसरा नम्बर 439 पर वादी 3/16 हिस्स का खातेदार पूर्व में ही दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार से जितना हिस्सा कय किया उतना हिस्सा वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का आराजी मुतनाजा पर हिस्से सही है अथवा नही इस बाबत वादी ने अपने वाद में कोई कथन नही किया है। ना ही आराजी मुतनाजा के अन्य सह खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। ऐसी स्थिति में आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। [illegible] जाती है।

उपरोक्तानुसार ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 4[illegible] रकबा [illegible]35, 431 रकबा 0.56 में से 0.16 व 439 रकबा 0.02 पर वादी का वाद [illegible] किया जाता है। [illegible] खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सायरी बनाम सुखपाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 135/2019
पेश करने की दिनाक – 20.11.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) –व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 443 रकबा 0.35, 431 रकबा 0.56 में से 0.16 व 439 रकबा 0.02 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद